बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–14.08.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कांर्फ्रेसिग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा–"हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम, "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" एवं "राजकीय नलकूप" योजनाओं की समीक्षा की गई।

"हर खेत तक सिंचाई का पानी":–

1. विगत प्रत्येक सप्ताह किये जा रहे समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया जा रहा है कि 15 अगस्त, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य (कार्यान्वयन योग्य योजनाओं की संख्या–1,996) के अनुसार योजनाओं का डी0पी0आर0 अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन–अधी०अभि०, अनु० एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

2. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा अबतक कुल 1,894 योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है, जिसमें आहर–पईन की 1,477, चेकडैम की 278 एवं उद्‌वह सिंचाई की 139 योजनाएं है। शेष आहर–पईन की 7, चेकडैम की 93 एवं उद्‌वह सिंचाई की 01 कुल मिलाकर अभी 101 योजनाओं का डी0पी0आर0 बनाया जाना शेष है।

(अनुपालन–अधी०अभि०, अनु० एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

3. डी0पी0आर0 बनाये जाने हेतु कुल शेष 101 योजनाओं में जमुई में 35, बांका में 24, मधुबनी में 12, बेतिया में 08, भागलपुर में 10, गया में 06, औरंगाबाद में 03, लखीसराय में 02 एवं नवादा में 01 योजनाएं हैं। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी को छोड़कर (इन्हें 15 दिनों का समय दिया गया) शेष सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 21 अगस्त, 2024 तक शेष योजनाओं का डी0पी0आर0 बनाकर विभाग को अवगत करावें।

(अनुपालन–उक्त सभी कार्यपालक अभियंता)

4. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में कुल 475 योजनाओं के विरूद्ध अबतक कुल 360 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 115 योजनाएं शेष बची हुई हैं। शेष बची योजनाओं में सर्वाधिक बांका में 22, जमुई में 20, पटना में 18, लखीसराय में 11, मधुबनी में 10 हैं। शेष बची योजनाओं से संबंधित सभी प्रमण्डलों को निदेश दिया गया कि जल्द–से–जल्द योजनाओं को पूर्ण कर विभाग को अवगत करायें।

(अनुपालन–उक्त सभी कार्यपालक अभियंता)

5. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत सिंचित हेतु कुल निर्धारित 5 लाख 90 हजार हेक्टेयर भूमि के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र अबतक 16.90 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अधिक–से–अधिक कमाण्ड एरिया को सिंचित योग्य करने की आवश्यकता पर प्रधान सचिव द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

6. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृत प्रदत्त पुरानी (वित्तीय वर्ष 2021–22, 22–23 और 23–24 की) शेष अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया।

7. कार्यपालक अभियंता, ल०सिं०प्र०, लखीसराय में वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की कुल 11 योजनाएं शेष हैं। पृच्छा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की कुल 05 योजनाओं का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष 06 योजनाओं में 01 योजना का कार्य 90 प्रतिशत तक किया जा चुका है एवं शेष 05 योजनाओं का कल्वर्ट/आउटलेट बनाया जाना है। प्रधान सचिव द्वारा शेष योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, ल०सिं०प्र०, लखीसराय)

8. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा में वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष 03 योजनाओं के बारे में पृच्छा करने पर बताया गया कि 02 योजना का कार्य लगभग 90 प्रतिशत किया जा चुका है, शेष 01 योजना हेतु मा० उच्च न्यायालय में मामला गया है।

   इसपर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जबतक मा० उच्च न्यायालय द्वारा किसी योजना पर स्टे ऑर्डर नहीं लगाया जाता है, तबतक किसी योजना का कार्य न रोका जाय।

   साथ ही यदि नियमानुसार किसी कार्य को किसी कारणवश 120 दिनों के अंदर प्रारंभ नहीं किया जाता हो तो उसे पुनर्निविदा के माध्यम से पुनः प्रारंभ कराया जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

9. जिन सतही योजनाओं का किसी कारण से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कमाण्ड एरिया की सिंचाई के लिए अतिरिक्त नलकूपों के लिए जिलों से प्रस्ताव भेजा जाय और विभाग द्वारा उसपर स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–अपर सचिव, अधी० अभि०, अनु० एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

"मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना":–

10. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन माह दिसंबर, 2024 तक करना है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अंचलवार शिविर लगाकर भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र सभी आवेदकों हेतु अविलंब निर्गत कराया जाय।

(अनुपालन–अपर सचिव एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

11. "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" अंतर्गत कुल 10,048 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए, जिसमें से कुल 873 आवेदकों का असहमति हेतु घोषणा–पत्र अपलोड किया जा चुका है। सहमति हेतु शेष 9,175 आवेदनों के विरूद्ध अबतक कुल 4,894 भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं 3,078 जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। कुल आवेदनों में से 3,359 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

12. "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" अंतर्गत पूर्व से सर्वेक्षित स्थलों में जिन कृषकों ने नलकूप अधिष्ठापन हेतु सहमति दी थी, उन सभी का भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र अगले सप्ताह तक पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। जो कृषक भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र नहीं दे रहे हैं, उन्हें स्पीड–पोस्ट के माध्यम से अंतिम अवसर की सूचना दें एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने पर उनके आवेदन को अमान्य कर दिया जाय।

(अनुपालन–अपर सचिव एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

13. "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" अंतर्गत जिन कृषकों का भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र पोर्टल पर अपलोड है, उनके आवेदनों की स्वीकृति एक सप्ताह के अंदर दी जाय।

(अनुपालन–अपर सचिव एवं प्रभारी, नलकूप कोषांग)

14. नलकूप हेतु प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत करने में अत्यधिक पिछड़े प्रमण्डलों में मधुबनी (सहायक अभियंता उपलब्ध न होने के कारण), प० चम्पारण, सुपौल, सहरसा, पू० चम्पारण एवं किशनगंज प्रमण्डल शामिल हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आवेदनों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उक्त कार्यपालक अभियंता)

15. ल०सिं०प्र०, नालंदा में "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" हेतु कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अबतक शून्य आवेदन स्वीकृत किये गये। पृच्छा के क्रम में बताया गया कि 07 आवेदकों ने असहमति हेतु घोषणा–पत्र दे दिये हैं, 03 आवेदन स्वीकृति हेतु शेष हैं। प्रधान सचिव द्वारा शेष 03 योजनाओं की अविलंब स्वीकृत करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन–कार्य० अभि०, ल०सिं०प्र०, नालंदा)

16. ल०सिं०प्र०, पूर्वी चम्पारण में "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" हेतु कुल 785 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से अबतक किसी आवेदकों ने असहमति हेतु घोषणा–पत्र नहीं दिया, वाबजूद अबतक मात्र 65 आवेदनों की स्वीकृति दी गई। यह कार्य असंतोषजनक प्रतीत होती है। प्रधान सचिव द्वारा शेष 720 योजनाओं की अविलंब स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

(अनुपालन–कार्य० अभि०, ल०सिं०प्र०, पूर्वी चम्पारण)

17. सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अंचलवार लंबित भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) की लिस्ट उपलब्ध करा दी जाय, जिससे LPC निर्गत करने की कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

राजकीय नलकूपः–

18. ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अंतर्गत सर्वेक्षित 589 सामुदायिक नलकूपों में 327 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में हैं, जबकि शेष 262 राजकीय नलकूप अभी चालू स्थिति में नहीं है। इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द–से–जल्द चालू करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–अपर सचिव एवं सभी कार्य० अभि०,)

19. ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अंतर्गत सर्वेक्षित 589 सामुदायिक नलकूपों में सर्वाधिक अक्रियाशील नलकूप दरभंगा (46), पूर्वी चम्पारण (30), पटना (30), सारण (29), भागलपुर (27), मधुबनी (18), सीवान (17), शिवहर(13) एवं भोजपुर (10) प्रमण्डल में हैं। प्रधान सचिव द्वारा संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अक्रियाशील राजकीय नलकूपों को क्रियाशील बनाने हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को अवगत करायें।

(अनुपालन–सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता)

20. अक्रियाशील 262 राजकीय नलकूपों में से 107 नलकूपों हेतु आवंटन अधियाचना अबतक विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी संबंधित प्रमण्डलों को निदेश दिया जाता है कि इन नलकूपों को क्रियाशील करने हेतु आवंटन अधियाचना 16 अगस्त, 2024 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

21. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत सर्वेक्षित राजकीय नलकूपों में जो विद्युत दोष से बंद हैं, उनका संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित करते हुए एक सप्ताह के अंदर डी०पी०आर० बनाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–SBPDCL/NBPDCL सभी कार्यपालक अभियंता)

अन्यान्यः–

22. प्रधान सचिव द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों पर अत्यधिक जोर दिया गया। जैसे–(क) विद्युत / बाह्य दोष के कारण बंद नलकूपों को चालू करने हेतु प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेज दिया जाय, (ख) आवंटन अधियाचना 02 दिनों के अंदर विभाग को भेज दिया जाय और (ग) जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त के साथ बैठक कर पंचायत / मुखिया स्तर से होने वाले कार्य को अविलंब पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी / SBPDCL/NBPDCL / सभी कार्यपालक अभियंता)

23. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी द्वारा सहायक अभियंता की मांग को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया गया कि जल्द–से–जल्द सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति मधुबनी प्रमण्डल में की जायेगी।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, ल०ज०सं०वि०)

सधन्यावद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

संतोष 2018

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–84/प्र॰स॰िव॰(ज)/ ल०ज०सं०वि०   / पटना, दिनांक 2018/24

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–84/प्र॰सचिव(जा)/ल०ज०सं०वि० /पटना, दिनांक 20/8/24

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 20/8

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–84/प्र॰सचिव(जा)/ल०ज०सं०वि० /पटना, दिनांक 20/8/24

प्रतिलिपिः–सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मा० मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी, नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 20/8

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–84/प्र॰सचिव(जा)/ल०ज०सं०वि० /पटना, दिनांक 20/8/24

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

संतोष 20/8

प्रधान सचिव